भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

''त्रिभुवन'' सहकारी विश्वविद्यालय (टीएसयू) के प्रथम रजिस्ट्रार एवं वित्त अधिकारी की नियुक्ति

गुजरात राज्य में ''त्रिभुवन'' सहकारी विश्वविद्यालय (टीएसयू) की स्थापना हेतु ''त्रिभुवन'' सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2025 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और 3 अप्रैल, 2025 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। यहां निम्नलिखित रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं:

क. प्रथम रजिस्ट्रार एवं वित्त अधिकारी के वैधानिक पद के लिए पात्रता शर्तें:

1. रजिस्ट्रार - 01 पद [अनारक्षित]

क) सीधी भर्ती

अनिवार्य:

i) कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है।

ii) शैक्षणिक स्तर 11 और उससे ऊपर के स्तर पर सहायक प्रोफेसर के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव या शैक्षणिक स्तर 12 और उससे ऊपर के स्तर पर 8 वर्ष की सेवा, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य भी शामिल है, के साथ-साथ शैक्षिक प्रशासन में अनुभव।

या

किसी शोध प्रतिष्ठान और/या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनीय अनुभव।

या

15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें से 8 वर्ष उप-कुलसचिव या समकक्ष पद के रूप में।

आयु: आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अधिमानतः 57 वर्ष से कम।

ख) प्रतिनियुक्ति

केंद्र या राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों या सांविधिक निकायों के आवेदक भी पात्र हैं, बशर्ते कि वे वेतन स्तर 12 पर समान पद या आठ वर्ष का अनुभव रखते हों।

या

केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों या राज्य विश्वविद्यालयों के आवेदक भी पात्र हैं, बशर्ते कि वे वेतन स्तर 12 पर समान पद या आठ वर्ष का अनुभव रखते हों और वे ऊपर उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएँ पूरी करते हों।

केंद्र सरकार के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा: आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 58 वर्ष से अधिक नहीं (भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 05.02.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी-14017/11/2017-स्था.(आरआर) के अनुसार)

कार्यकाल: प्रारंभ में तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए और अन्य दो (2) वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हो सकते हैं।

2. वित्त अधिकारी - 01 पद [अनारक्षित]

क) सीधी भर्ती

अनिवार्य:

i) कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है।

ii) शैक्षणिक स्तर 11 और उससे ऊपर के स्तर पर सहायक प्रोफेसर के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव या शैक्षणिक स्तर 12 और उससे ऊपर के स्तर पर 8 वर्ष की सेवा, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य भी शामिल है, के साथ-साथ शैक्षिक प्रशासन में अनुभव।

या

किसी शोध प्रतिष्ठान और/या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनीय अनुभव,

या

15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें से 8 वर्ष उप-कुलसचिव या समकक्ष पद के रूप में।

आयु: आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अधिमानतः 57 वर्ष से कम।

ख) प्रतिनियुक्ति:

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवाओं या अन्य केंद्रीय संगठित सेवाओं या राज्य सरकार के अधिकारी भी पात्र हैं, बशर्ते कि वे वेतन स्तर 12 पर समकक्ष पद धारण कर रहे हों या आठ वर्ष का अनुभव रखते हों।

या

स्वायत्त निकायों, सांविधिक निकायों, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों या राज्य विश्वविद्यालयों के आवेदक भी पात्र हैं, बशर्ते कि वे वेतन स्तर 12 पर समकक्ष पद धारण कर रहे हों या आठ वर्ष का अनुभव रखते हों और वे ऊपर उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएँ पूरी करते हों।

केंद्र सरकार के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा: आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 58 वर्ष से अधिक नहीं (भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 05.02.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी-14017/11/2017-स्था.(आरआर) के अनुसार)

कार्यकाल: प्रारंभ में तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए और अन्य दो (2) वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हो सकते हैं।

ख. वेतन और सेवा शर्तें

- इस पद का वेतन सातवें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (रु. 1,44,200-2,18,200/- प्रतिमाह) है, साथ ही समय-समय पर संशोधित टीएसयू अधिनियम, 2025, विश्वविद्यालय के कानूनों और अध्यादेशों द्वारा प्रदान किए गए अन्य वेतन और भत्ते भी शामिल हैं।
- सेवाओं के नियम और शर्तें टीएसयू अधिनियम, 2025, विश्वविद्यालय के समय-समय पर संशोधित क़ानूनों और अध्यादेशों में उल्लिखित होंगी।

ग. नियुक्ति की प्रक्रिया

- प्रथम कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर, टीएसयू अधिनियम, 2025 और विश्वविद्यालय के क़ानूनों के अनुसार की जाएगी।
- यह विज्ञापन **https://www.education.gov.in, https://www.cooperation.gov.in** और **https://www.irma.ac.in** वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
- उम्मीदवारों को नीचे दिए गए लिंक के अनुसार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, समर्थ (**SAMARTH**) पोर्टल पर **"केवल ऑनलाइन आवेदन"** करना होगा:

https://moegroupant.samarth.ac.in/

- उपरोक्त लिंक **7 अगस्त, 2025, सुबह 10:00 बजे से 7 सितंबर, 2025, शाम 5:00 बजे तक सक्रिय रहेगा।**

सीबीसी 66101/11/0005/2526